# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

**प्रकरण सख्याः 72/2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)**

**GCMS NO : 2023/51**

**अनवान**

1. राज्य सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

**–प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री वीरपालसिंह तोमर पिता श्री शिवसिंह राजपूत विक्रेता एवं मालिक मैसर्स नजरबाग रेस्टोरेन्ट यू.आई.टी. सर्किल, उपकार स्टोर के पास, पंचवटी उदयपुर स्थाई पता म.न. 213, ग्राम पुरा भगवान तिनेतपुरा, तह. वाह थाना खेडा राठौर, जिला आगरा (उ.प्र.) मो.न. 9587229038

**–विपक्षी**

**उपस्थित**

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. श्री कृष्णकांत गहलोत, अधिवक्ता विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

**●निर्णय●**

दिनांक 24-05-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/ 2011/ 727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 26.05.2023 को 02.30 पीएम वास्ते चेकिंग मैसर्स नजरबाग रेस्टोरेन्ट यू.आई.टी. सर्किल, उपकार स्टोर के पास, पंचवटी उदयपुर पर पहॅूचे, वहॉ विपक्षी श्री वीरपालसिंह तोमर उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं मैसर्स नजरबाग रेस्टोरेन्ट यू.आई.टी. सर्किल, उपकार स्टोर के पास, पंचवटी उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय पाया कि उक्त विक्रेता के रेस्टोरेन्ट पर आम जनता को खाना बनाकर खिलाने (विक्रय करने) का कार्य किया जाता यहां एक पतीले में करीब 5 किलो प्रीपेयर्ड दाल आम जनता को बिकी (खाने में परोसने हेतु )हेतु रखी पायी, पूछने पर विक्रेता ने इसे चना दाल, अरहर दाल, रिफा. सोयाबीन तेल, मिर्च, हल्दी, धनिया, आयोडीन नमक एवं जीरे से निर्मित होना बतलाया। सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त दाल को स्टील के चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप करके 2 लीटर प्रीपेयर्ड दाल एक साफ, सुखी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

एवं खाली स्टील की भगोनी मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। क्रय शुदा प्रीपेयर्ड दाल की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 400रु. नकद चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा प्रीपेयर्ड दाल को विक्रेता तथा गवाहान की उपस्थिति में प्लास्टिक के चार साफ, सुखे व खाली जारों में बराबर मात्रा में भरकर (प्रत्येक जार मे करीब 500 एम.एल.) भरकर फार्मेलिन की 40 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मुँह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाइट बन्द किया, नियमानुसार सीलबन्द किये। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए–2301 का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा। साथ मे फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न. 6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/6666 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस 468/एक्ट/2023/468 दिनांक 06.06.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Butyrorefractometer Reading at 40°C 58.05-68.0 होना चाहिए था, कि जगह 55.9 nd=1.46329 पाया गया Iodine value 120-141 होनी चाहिए थी की जगह 94.29 पायी गई। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ. एस.एस.ए./2023/6665 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/9557 दिनांक 16.10.2023 द्वारा खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/ क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को स्वंय आरोपी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर लिखित बहस पेश की।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस प्रारंभ करते हुए न्याय निर्णयन आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अनुरोध किया कि रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई। वक्त निरीक्षण खाद्य उत्पाद प्रीपेयर्ड दाल का सेम्पल लिया गया, लिखित बहस में सेम्पल लेट जमा कराने की आपत्ति है जबकि अवकाश होने से अगले कार्यदिवस को सेम्पल जमा करा दिया गया है। इनके स्टाफ से इन्ग्रीडेन्ट्स पूछकर ही पत्रावली में अंकित किये है। सेम्पल खाद्य विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को भेजा जाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत उक्त खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के अर्न्तगत शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। अतः आरोपी को अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जावे।

विपक्षीगण द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दौहराय एवं तर्क दिया कि दाल को सीज किया गया है जो प्रिपेयर्ड की हुई है। तेल के कारण सबस्टैण्डर्ड आया है तो तेल का सेम्पल लेना चाहिए था ताकि निर्माता कम्पनी को भी नोटिस दिया जाता, तेल की क्वालिटी के लिए निर्माता कम्पनी जिम्मेदार है। दाल में कोई एडीटीव नहीं पाया गया है। मेरे किचन से केवल दाल का सेम्पल नही ले सकते है इण्डीगेन्ड्स सीज नही किया जिसकी आपत्ति है। राईसब्राइन ऑयल की जगह यदि स्टाफ द्वारा सोयाबीन तेल बोल दिया तो उससे कोई अपराध नहीं कारित होता है। तेल का भी सैम्पल ले सकते थे। जानबुझकर परेशान करने के उद्वेश्य से प्रकरण तैयार किया है जो खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध न्याय निर्णयन आवेदन, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पाया कि उक्त विक्रेता के रेस्टोरेन्ट पर आम जनता को खाना बनाकर खिलाने (विक्रय करने) का कार्य किया जाता यहां एक पतीले में करीब 5 किलो प्रीपेयर्ड दाल आम जनता को बिक्री (खाने में परोसने हेतु )हेतु रखी पायी, पूछने पर विक्रेता ने इसे चना दाल, अरहर दाल, रिफा. सोयाबीन तेल, मिर्च, हल्दी, धनिया, आयोडीन नमक एवं जीरे से निर्मित होना बतलाया। सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त दाल को स्टील के चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से हिलामिलाकर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

एकरूप करके 2 लीटर प्रीपेयर्ड दाल एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। खाद्य विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को भेजा जाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत उक्त खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया हैं। क्योंकि Butyrorefractometer Reading at 40°C 58.05-68.0 होना चाहिए था, कि जगह 55.9 nd=1.46329 पाया गया Iodine value 120-141 होनी चाहिए थी की जगह 94.29 पायी गई। आरोपी का तर्क है कि रसोई में बनी हुई दाल का सेम्पल लिया जिसमें राईस ब्रान ऑयल की जगह का सोयबीन तेल बोल ने से सबस्टैण्डर्ड आया है। जबकि प्रार्थी द्वारा सेम्पल रसोई से लिया गया है जिसमें दाल बनाने वाले कर्मचारी से ही दाल में डाले गये वस्तुओ की जानकारी ली थी। चूंकि सेम्पल सबस्टैण्डर्ड आया है जो कि लैब की रिपोर्ट से स्पष्ट है, दाल के साथ अन्य पदार्थो का सेम्पल लेने न लेने का इस सेम्पल की कार्यवाही से कोई लेना देना नहीं है। प्रकरण मे अभियोजन पक्ष की ओर से की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार पाई जाती है। समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त उक्त खाद्य नमूना प्रिपेयर्ड दाल सबस्टैण्डर्ड होना स्पष्ट जाहिर हैं।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी को ₹50000 (अक्षरे रूपया पचास हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( दीपेन्द्र सिंह राठौर )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)